राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 213/2021

सुवाराम पुत्र माडूराम जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. अमीलाल पुत्र गणपत जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. शीशराम पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. जड़ावली पत्नी शैतान जाति गुर्जर निवासी सेरपुर तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
4. मामचन्द पुत्र शैतान जाति गुर्जर निवासी भागोद खरखड़ा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
5. भंवरलाल पुत्र शैतान जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिंघाना जरिये शाखा प्रबंधक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–: निर्णय :– **दिनांक 16–11–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04–03–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 8 खसरा नंबर 1341/1174 कुल रकबा 2.66 है. भूमि में वादी का 85/133 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम [illegible] एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रख[illegible] विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर [illegible]री की गई। तहसील[illegible]अ.),

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.22 11:30:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/747 दिनांक 04.04.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये तथा पुनः पत्र क्रमांकः भू.अ. /22/4144 दिनांक 30.09.2022 से नक्शा ट्रेस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 30–09–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 30–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 व दिनांक 30–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 30–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 30–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.22 11:50:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

सुवाराम

ब–ना–म

अमीलाल आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **213/2021**

निर्णय दिनांक :– **16–11–2022**

वादी की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **16–11–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 30–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–4" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04–04–2022 व नक्शा ट्रेस दिनांक 30–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–4" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **16–11–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.22 11:50:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner